

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No./02/2017/ 9(120)/ XXVII(8)/2017, dated 05 December, 2017 for general information.


Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No /02/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017
Dehradun :: Dated :: 05 December, 2017


Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to specify the persons making supplies of services, other than supplies specified under sub-section (5) of section 9 of the said Act through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52 of the said Act, and having an aggregate turnover, to be computed on all India basis, not exceeding an amount of ten lakh rupees in a financial year, as the category of persons exempted from obtaining registration under the said Act.

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November, 2017.


(Radha Raturi)
Principal Secretary



उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
संख्या /2017/9(120)/XXVII(8)/2017
देहरादून:: दिनांक:: 05 दिसम्बर, 2017

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक स्रोत जिससे उक्त अधिनियम की धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर एकत्र करना अपेक्षित है, के माध्यम से, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट आपूर्ति से भिन्न सेवाओं की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति को, जो एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख की रकम से अनधिक अखिल भारतीय आधार पर संगणित किए जाने वाले संकलित व्यापारावर्त रखते हों, उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त करने वाले व्यक्ति के रूप में विनिर्दिष्ट करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :


2. यह अधिसूचना दिनांक 15 नवम्बर, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

सं० 1021/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तददिनांक ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें ।
- 2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित की कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें ।
- 3- विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
- 4- अपर सचिव, वित्त-8, उत्तराखण्ड शासन ।
- 5- एन0आई0सी0
- 6- गार्ड फाईल हेतु ।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव